

झारखण्ड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
लगान रसीद



Sch XIV F. No. 180V

जिला का नाम मोहाड़ा  
अनुमण्डल का नाम 17/66  
अंचल का नाम मोहाड़ा  
मौजा नरुविया  
थाना वी थाना नम्बर 1010-175

V  
72  
XI

रसीद क्रमांक JH 04 A 068524  
रेयत का नाम श्रीमति सुनी देवी  
पिता का नाम रामलाल साहू  
जमाबन्दी नम्बर 174/1951

|             |              |                 |
|-------------|--------------|-----------------|
| खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकवा (एकड़ में) |
| 174         | 140          | 0.15 ए०         |

जोत की सालाना मांग एवं मांग का विवरण (बकाया एवं हाल) चालू वर्ष का

| मांग<br>हाल | वार्षिक | बकाया            |           |           | विगत वर्ष | 2018-19 |
|-------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|             |         | 3 वर्ष से ज्यादा | 3 रा वर्ष | 2 रा वर्ष |           |         |
| लगान        | 15.00   |                  |           |           | 15.00     | 15.00   |
| सेस         | 3.75    |                  |           |           | 3.75      | 3.75    |
| *ब्याज      | 7.50    |                  |           |           | 7.50      | 7.50    |
| विविध       | 7.50    |                  |           |           | 7.50      | 7.50    |
| योग         | 36.75   |                  |           |           | 36.75     | 36.75   |

| अदायगी | भुगतान का विवरण  |           |           | हाल   | अग्रिम |
|--------|------------------|-----------|-----------|-------|--------|
|        | 3 वर्ष से ज्यादा | 3 रा वर्ष | 2 रा वर्ष |       |        |
| लगान   |                  |           |           | 15.00 | 15.00  |
| सेस    |                  |           |           | 3.75  | 3.75   |
| *ब्याज |                  |           |           | 7.50  | 7.50   |
| विविध  |                  |           |           | 7.50  | 7.50   |
| योग    |                  |           |           | 36.75 | 36.75  |

- कुल योग शब्दों में तिरुनालु फ्यास पैस में
- नाम अदाकर्ता बलराम
- कुल बकाया X

(हल्का कर्मचारी)

हस्ताक्षर एवं दिनांक

\* खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।